

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

2—निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग—3

लेखनकाल: दिनांक 15 अप्रैल, 2021

विषय:—कोविड—19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा—निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग—3 के आदेश संख्या—955/सत्तर—3—2021—08 (20) / 2020, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड—19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत राज्य स्थित विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें—

(1) विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं/प्रायोगिक परीक्षाओं को आगामी 15 मई, 2021 तक स्थगित रखा जाये।

(2) पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किये जायें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्र—छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।

(3) परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुलपति/प्रधानाचार्यों द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत समूह—“ख”, “ग” एवं “घ” के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयें तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करें।

2— कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(
अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या— १०६४ (१) / सत्तर-३-२०२१, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 2— अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3— अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5— निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 6— निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 8— कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 9— समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।